



अशोक गहलोट,
मुख्यमंत्री, राजस्थान



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



राजेन्द्र यादव
उच्च शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

संचालित स्कूटी/ छात्रवृत्ति योजनाएँ

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

- योग्यता: 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण (RBSE में न्यूनतम 65 प्रतिशत CBSE में न्यूनतम 75 प्रतिशत)
- पारिवारिक वार्षिक आय-2,50,000/-रूपये
- राजस्थान स्थित किसी भी निजी/सरकारी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राएँ
- स्कूटी के साथ छात्रा को सुपुर्द करने तक (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण) परिवहन व्यय, एक वर्ष का सामान्य बीमा व पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा, दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार) एवं एक हेलमेट भी दिया जायेगा।
- बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में स्कूटियों की संख्या 13000 से बढ़ाकर 20,0000 निम्नानुसार की गयी है। :-
- उच्च शिक्षा विभाग (All Castes) -2775 स्कूटी
- सामाजिकन्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC Girls) -1642 स्कूटी
- माध्यमिक शिक्षा विभाग (EBC Girls) -985 स्कूटी
- अल्पसंख्यक मामलात विभाग (Minority Girls) -1232 स्कूटी
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST Girls for XII passed) -8210 स्कूटी
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST Girls for X passed) -1642 स्कूटी
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमुन्तु व अर्द्धघुमुन्तु समुदायों की छात्राओं हेतु) -1051 स्कूटी

देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना

- योग्यता-12 वीं कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत
- पारिवारिक वार्षिक आय -2,50,000/-रूपये
- राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राएँ
- केवल MBC वर्ग की पात्र छात्राएँ
- लक्ष्य-2463 स्कूटी
- देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर प्रथम 2463 छात्राओं को स्कूटी एवं शेष आवेदक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि (स्नातक-10,000 रूपये, स्नातकोत्तर-20,000 रूपये) दी जाती है।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर

अधिक जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट देखें।

<https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship>

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

- पात्रता-राजस्थान में स्थित किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 12 वीं कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण होने पर
- छात्रवृत्ति राशि 5000 रूपये प्रतिवर्ष एवं दिव्यांग को 10,000 रूपये प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक
- लक्ष्य-राजस्थान के एक लाख छात्र-छात्राएँ प्रतिवर्ष

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना

- पात्रता-राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाएँ
- छात्रवृत्ति राशि-17,880 रूपये प्रतिवर्ष (बी.एड. फीस का पुनर्भरण)
- लक्ष्य-राजस्थान की समस्त पात्र छात्राध्यापिकाएँ

विभाग द्वारा उपरोक्त योजनाओं में आवेदन करने हेतु दिनांक 20.10.2022 को पोर्टल खोला गया है। छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2022 है।

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना

- पात्रता-वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (VMOU) एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्व विद्यालय(IGNOU) में PG/UG/Diploma UG & PG/Certificate Courses में अध्ययनरत छात्राएँ
- छात्रवृत्ति राशि-फीस का पुनर्भरण
- लक्ष्य-राजस्थान के 36300 छात्राएँ प्रतिवर्ष

राजीव गाँधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक ऐक्सीलेंस योजना

- पात्रता-150 टॉप रैंकिंग विदेशी विश्व विद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने पर
- छात्रवृत्ति राशि-अधिकतम 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष (ट्यूशन फीस का 100 प्रतिशत तक भुगतान)
- आय-
 1. 8 लाख से कम पारिवारिक आय
 2. 8 लाख से 25 लाख पारिवारिक आय
 3. 25 लाख से अधिक पारिवारिक आय
- लक्ष्य-राजस्थान के 200 छात्र-छात्राएँ प्रतिवर्ष

अधिक जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट देखें।
<https://hte.rajasthan.gov.in/online-scholarship>